

भूपेंद्र स्टील (प्रा.) लिमिटेड

बनाम

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

(सिविल अपील सं. 172/2003)

16 मई, 2008

[न्यायमूर्ति अशोक भान और दलवीर भन्डारी, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985: उपशीर्षक 7226. 20 और 7228.30/केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्यू अधिनियम, 1944: टैरिफ मद 25(8) और छूट अधिसूचना संख्या 208183-सीई दिनांक 1 अगस्त 1983, 90/88-सीई दिनांक 1 मार्च 1988 और 202/88-सीई दिनांक मई 20, 1988 केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किया गया।

छूट अधिसूचनाएं - निर्धारिती द्वारा निर्मित उत्पाद 'स्टील की सलाखें और छड़े' और 'स्टील सिल्लियों' पर प्रयोज्यता - अभिनिर्धारित- छूट अधिसूचनाओं के लाभ का दावा करने के लिए, निर्धारिती को इस शर्त को पूरा करना होगा कि उत्पाद शीर्ष 72.08 के अंतर्गत आता है और उत्पाद अधिसूचना में निर्दिष्ट विवरण के सामान से बने हैं - निर्धारिती का दावा है कि उसके द्वारा उपयोग किए गए निवेश सपाट लोहे की छड़े उत्पाद हैं, जो कि 1985 अधिनियम के शीर्ष 72.08 के अंतर्गत आते हैं, जो कि इस न्यायालय द्वारा स्वयं निर्धारिती के पहले के मामले में कायम की गई राय के विपरीत है जो रोलिंग/आयरन/स्टील द्वारा मोटे तौर पर आकार के लिए योग्य इनपुट हैं- इसलिए निर्धारिती द्वारा उपयोग किए गए निवेश को मोटे तौर पर आकार के टुकड़ों के रूप में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपशिष्ट और स्क्रेप के रूप में कहा जा सकता है - इसलिए, छूट अधिसूचना लागू नहीं है।

इस न्यायालय के समक्ष अपील निर्धारित करने के लिए यह प्रश्न अन्तर्ग्रस्त था कि क्या स्टील की सलाखें और छड़े और जो उपशीर्षक 7228.30 के तहत आती हैं और स्टील के गोट्स जो कि केन्द्रीय उत्पाद एवं शुल्क अधिनियम 1985 के उप शीर्षक 7226.20 के अन्तर्गत आता है व निर्धारिती द्वारा निर्मित अंतिम उत्पाद अधिसूचना संख्या 208 संख्या 208/83-सीई दिनांकित 1 अगस्त, 1983 जो अधिसूचना संख्या 90/88 दिनांकित 1 मार्च, 1988 तथा अधिसूचना संख्या 202/88-सीई दिनांकित 20 मई, 1988 के द्वारा संशोधित किया गया है, के अधीन उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

अपीलार्थी-निर्धारिती ने तर्क दिया कि जहां तक अक्टूबर, 1987 से मार्च, 1988 अवधि का संबंध है इस बिन्दु को इस न्यायालय के द्वारा स्वयं निर्धारिति के अन्य पहले के मामले भूपेन्द्र स्टील्स (पी.)लि. बनाम सीसीई में उक्त अवधि के संबंध में निर्धारिति के विरुद्ध यह निश्चित किया जा चुका है कि वे नोटिफिकेशन संख्या 90/88 दिनांकित 01.03.1988 और 202/88 सीई दिनांकित 20.05.1988 से शासित होंगे।

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:-

1.1 अधिसूचनाओं का लाभ उस निर्धारिती के लिए उपलब्ध है जिसने निर्दिष्ट निवेश का उपयोग किया हो। हस्तगत मामले में निर्धारिती द्वारा किया गया दावा किया गया है कि उपयोग किए जाने वाले निवेश "मोटे आकार के टुकड़े" थे जो तीनों छूट अधिसूचनाओं में इस तरह वर्णित किया गया है जहां संदर्भ विशेष रूप से "मोटे तौर पर टुकड़ों" के लिए है। [पैरा 11] [1043-बी, सी]

1.2 अधिसूचना दिनांकित 01 मार्च, 1988 व 20 मई, 1988 का विधिक पठन किया जाए तो यह दर्शित होता है कि निर्धारिती को दोनों अधिसूचनाओं की छूट प्राप्त करने के लिए दो शर्त पूर्ण करनी आवश्यक है (1) कि उत्पाद एंसे सामान से बनाए

गए हों जो संबंधित विवरण के कॉलम संख्या 2 में वर्णितानुसार हों, (2) वे शुल्क अधिनियम के अध्याय 72 के भीतर आने चाहिए। [पैरा 17] [1046-डी, ई]

1.3 इस न्यायालय के समक्ष निर्धारिती का यह निवेदन है कि निवेश केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के शीर्ष 72.08 के तहत आएगा, अर्थात् सपाट लोहे की छड़ें मद् आदि, निर्धारिती के अपने मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले जो अभिनिर्धारित किया गया है, उसके विपरीत है। जैसा कि स्वयं आधिसूचनाओं में वर्णित किया गया है कि निवेश टुकड़ों में होने चाहिए थे मोटे तौर पर लोहे या स्टील के रोलिंग द्वारा आकार दिया जाता है, जो स्पष्ट है कि वह पर्याप्त रूप से, सपाट लोहे की छड़े "उत्पाद" या लोहा नहीं हो सकते हैं। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि सलाखों के टुकड़े, छड़े, सपाट आदि के टुकड़े, जो मुख्य वस्तु से काट दिए जाते हैं, टुकड़ों के रूप में योग्य नहीं हो सकते हैं जो मोटे तौर पर झुलाव या मन से आकार दिए जाते हैं। [पैरा 18] [1046-ई, एफ, जी]

भूपेंद्र स्टील्स (पी) लिमिटेड बनाम सीसीई (2002) 7 एससीसी 528 – पर निर्भरता व्यक्त की।

1.4 निर्धारिती ने ट्रिमिंग्स और फोर्जिंग और पुरानी नष्ट की हुई मशीनें, पुराना टूटा हुआ अभियांत्रिकी का सामान, छिद्रित स्टील धातु के पात्र और अन्य टूटी हुई वस्तुएं खरीदी थी जो कि निश्चित रूप से मोटे आकार के टुकड़े नहीं माने जा सकते हैं। [पैरा 21] [1047-सी, डी]

1.5 जहाँ तक नोट 6 में वर्तमान में परिभाषित अवधि का संबंध है, निवेश चारों तरफ से मलबे से ढका हुआ या जिनका अधिसूचना संख्या 202/88 या 90/88 (पैरा 22) (104)-डीई में कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. का 172/2003

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नया दिल्ली द्वारा याचिका संख्या ई/5482/92-बी। में पारित अंतिम आदेश संख्या 186/2002-बी दिनांक 14/5/2002 से

याचिकाकर्ता की और से अधिवक्ता रमेश सिंह (राजेश कुमार के लिए)।

प्रत्यर्थागण की और से अधिवक्ता एम. चंद्रशेखरन, ए. एस. जी. एस. सुनील, रुपेश कुमार, अल्का शर्मा और पी. परमेश्वरन।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति भान.जे. के द्वारा दिया गया।

1. हस्तगत अपील अपीलकर्ता निर्धारिती द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 35-एल के तहत सीमा शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) द्वारा पारित अंतिम आदेश संख्या 186/2002-बी दिनांकित 14.05.2002 के विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में न्यायाधिकरण) अपील संख्या ई/5482/92-बी में दायर की गई है।

2. इस याचिका में यह बिन्दु अन्तर्गस्त है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित अंतिम उत्पाद समय-समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या 208/83-सीई दिनांक 1.8.1983 के तहत छूट के पात्र हैं।

3. संक्षेप में वर्तमान याचिका दायर करने के आधारभूत तथ्य इस प्रकार हैं:

4. अपीलकर्ता-निर्धारिती, जिसे इसके बाद 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित किया गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (संक्षेप में) के उप-शीर्षक 7228.30 के अंतर्गत आने वाले स्टील की सलाखें और छड़े और उप-शीर्षक 7226.20 के अंतर्गत आने वाले स्टील सिल्लियों के निर्माण का कार्य करता है। भारत सरकार ने अपनी विस्तृत अधिसूचना संख्या 208/83-सीई दिनांक 01 अगस्त, 1983 जो कि अधिसूचना संख्या 90/88-सीई दिनांक 1.3.1988 तथा अधिसूचना संख्या 202/88-सीई दिनांक

20.5.1988 द्वारा संशोधित किया गया में ऐसे निश्चित अंतिम उत्पाद जो अध्याय 72 के अधीन आते हैं उन्हें सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी है, यदि ऐसे उत्पाद उक्त अधिसूचना के (सीओ.2) में वर्णित निर्दिष्ट निवेश से उत्पादित होते हों, जिस पर शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो। अधिसूचना के स्पष्टीकरण के अनुसार निवेश जो बाजार से खरीदे गए हों ऐसा समझा जायेगा कि शुल्क का भुगतान किया गया है सिवाय ऐसे माल के जो स्पष्ट रूप से गैर शुल्क योग्य है या शुल्क की दर शून्य कर दी गई है।

5. अक्टूबर, 1987 से मार्च, 1988, अप्रैल, 1988 से जून, 1988 और सितंबर, 1988 से फरवरी, 1989 की अवधि के लिए निर्धारिती को तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिसमें रुपये 2,65,849.57/-, रुपये 4,41,394.50/- और रुपये 59,569.82/- रुपये के शुल्क की मांग की गई।

6. निर्धारिती ने स्थानीय बाजार से लोहा और स्टील स्क्रेप खरीदा था और इसे निर्दिष्ट निवेश के रूप में अधिसूचना संख्या (i) 208/83-सीई दिनांक 1.8.1983, (ii) 90/88-सीई दिनांक 1.3.1988 और (iii) 202/88-सीई दिनांक 20.5.1988 के तहत छूट प्राप्त करने के लिए) स्टील सिल्लियों के निर्माण के लिए उपयोग किया था। जब्ती के समय लिए गए नमूनों से यह स्थापित हुआ कि निर्धारिती ने लोहा और स्टील, मुड़ा हुआ व छिद्रित बाजार स्क्रेप, पुरानी नष्ट की गई मशीनें, पुराना टूटा हुआ इंजीनियरिंग का सामान, छिद्रित स्टील धातु, पात्र और अन्य टूटी हुई वस्तुएं और लोहे और स्टील के नमूने के रूप में छोटी छड़े, जो अन्त तक सपाट कटी हुई हैं, जिन पर निकासी के समय शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

7. ऊपर उल्लिखित तीन कारण बताओ नोटिसों में से प्रत्येक के अपने उत्तर में, कर निर्धारण अधिकारी ने दोहराया कि निर्धारिती द्वारा उपयोग किए गए सभी निवेश

केवल पूर्ववर्ती टीआई 25 के उप-मद (8) के तहत वर्गीकृत किए जाने योग्य हैं क्योंकि ये सभी सामान मोटे तौर के आकार के हैं और कहीं और निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। पूर्ववर्ती शुल्क के टीआई 25(8) को इस प्रकार पढ़ा जाए: -"(8) मोटे तौर पर लोहे या स्टील के रोलिंग या फोर्जिंग द्वारा किए गए आकार के टुकड़े, अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं"।

8. 28.2.1986 से पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की अनुसूची में शामिल था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, शुल्क को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम से अलग कर दिया गया था। उक्त शुल्क अधिनियम 1985 28.2.1986 से लागू हुआ। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 15 में, अध्याय 72 में लोहे और स्टील के लिए और अध्याय 73 में लोहे और स्टील की वस्तुओं के लिए प्रावधान किया गया है। शीर्षक संख्या 72.03 में लोहे और स्टील के अपशिष्ट और स्क्रेप के लिए प्रावधान किया गया है और शीर्षक संख्या 72.08 में "लोहे या स्टील के रोलिंग या फोर्जिंग द्वारा मोटे तौर पर आकार दिए गए टुकड़ों के लिए प्रावधान किया गया है, जो कहीं और निर्दिष्ट नहीं हैं"। इस प्रकार, शीर्षक संख्या 72.08, पूर्ववर्ती शुल्क के टीआई 25(8) के समान था।

9. इसी प्रकार, पूर्ववर्ती शुल्क में परिभाषित "अपशिष्ट और स्क्रेप" का अर्थ है: -

"लोहे या स्टील का अपशिष्ट और स्क्रेप केवल धातु की पुनर्प्राप्ति या रसायनों के निर्माण में उपयोग के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें लावा, राख और अन्य अवशेष शामिल नहीं हैं, नये शुल्क में भी यही परिभाषा जारी रही। हालाँकि, वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा, "अपशिष्ट और स्क्रेप" को नोट 6 से धारा 15 में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है:

धातु, और धातु के सामान जो निश्चित रूप से टूटने, कटने, घिसने या अन्य कारणों से उपयोग करने योग्य नहीं हैं।”

10. भले ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 से पहले और बाद में शुल्क में कुछ बदलाव हुए हों, लेकिन निर्धारिती ने अपने सभी उत्तरों में केवल पूर्ववर्ती शुल्क के टीआई 25(8) का ही उल्लेख किया है। जो भी हो, विभाग का कहना है कि जहां तक अधिसूचना के लाभ के लिए निर्धारिती की पात्रता का सवाल है, स्थिति केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 से पहले और बाद में समान रही है।

11. जहां तक हस्तगत प्रकरण के तथ्यों का सवाल है, अधिसूचनाओं का लाभ उस निर्धारिती को उपलब्ध है जिसने निर्दिष्ट निवेश का उपयोग किया था। वर्तमान मामले में, निर्धारिती द्वारा किया गया दावा यह है कि उपयोग किए गए निवेश "मोटे तौर पर आकार के टुकड़े" थे। इन्हें तीनों अधिसूचनाओं में इसी प्रकार वर्णित किया गया है जहां संदर्भ विशेष रूप से "मोटे तौर पर आकार के टुकड़े" का है।

12. सहायक आयुक्त ने अपने आदेश में निर्धारित किया है कि वे मोटे तौर पर 7208.00 के आकार के टुकड़े नहीं हैं बल्कि पिघलने वाला स्क्रेप हैं जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। उसने यह भी पाया कि व्यापारियों के चालान में "मोटे तौर पर आकार के टुकड़े" शब्द बाद में डाले गए थे। आगे यह माना गया कि निर्धारिती द्वारा लाए गए निवेश न तो पूर्ववर्ती शुल्क मद 25(8) के अंतर्गत आते हैं और न ही 7208.00 के अंतर्गत आते हैं जैसा कि अधिसूचना संख्या 208/88-सीई दिनांक 20.5.1988 के तहत निर्दिष्ट है। दिनांक 13.8.1992 के अपील आदेश में, आयुक्त (अपील) ने पाया कि सहायक आयुक्त द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष इस आशय का है कि निर्धारिती द्वारा खुले बाजार से खरीदे गए निवेश का उपयोग पिघलने के माध्यम से

किया जा रहा था और तब उनके अंतिम उत्पाद प्राप्त करने की अपील में निर्धारिती द्वारा खंडन नहीं किया गया था।

13. अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 14.5.2002 में, आयुक्त (अपील) के आदेश को मंजूरी दे दी और माना कि अधिसूचना का लाभ निर्धारिती को उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनके द्वारा उपयोग किए गए निवेश अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट नहीं हैं। अधिकरण ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि व्यापारियों द्वारा जारी किए गए चालानों पर "मोटे तौर पर आकार के टुकड़े" शब्द बाद में लिखे गए थे, लेकिन निर्धारिती द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया था और यह भी कि वे संशोधन से पहले और बाद में "अपशिष्ट और स्क्रेप" की परिभाषा में आते थे।

14. अधिकरण का ध्यान उसी निर्धारिती के मामले में उसके पहले के निर्णय की ओर भी आकर्षित किया गया था, जहां अधिसूचना संख्या 208/83-सीई का लाभ निर्धारिती को देने से इनकार कर दिया गया था [1994 (70) ईएलटी 151]। उक्त निर्णय की इस न्यायालय के समक्ष निर्धारिती द्वारा अपील की गई और इस न्यायालय द्वारा भूपेंद्र स्टील्स (पी) लिमिटेड बनाम सीसीई,1 [(2002) 7 एससीसी 528 में लिया गया था।] में यह अभिनिर्धारित किया कि शुल्क मद 25(8), जैसा कि तब था, सलाखें, छड़े, सपाट आदि के टुकड़ें, जो कि मुख्य मद से कटे हुए हों, उनको सम्मिलित नहीं जायेगा। इस न्यायालय ने राजस्व के इस आरोप पर भी ध्यान दिया कि निर्धारिती ने स्क्रेप डीलरों से फ्लैटों का अंतिम हिस्सा खरीदा था, जिसे इनकार नहीं किया गया था। इससे यह भी पता चलता है कि फ्लैटों के सिरे मद 25(8) के अंतर्गत नहीं आते हैं। चूंकि अधिसूचना में "अपशिष्ट और स्क्रेप" या "फ्लैट" शामिल नहीं हैं, इसलिए निर्धारिती अधिसूचना संख्या 208/83 के तहत छूट का हकदार नहीं होगा। आगे यह अभिकथित किया गया है कि यह निर्धारिती को दर्शित करना है कि उनके द्वारा उपयोग किए गए निवेश किस उप-मद के अंतर्गत आते हैं। चूंकि वे टीआई 25 के उप-मद (8)

के अंतर्गत नहीं आते थे और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फ्लैटों के सिरे स्क्रेप डीलरों से खरीदे गए थे, इस न्यायालय ने माना कि निवेश उप-मद (8) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस न्यायालय ने राजस्व के इस आरोप पर भी ध्यान दिया कि निर्धारिती ने स्क्रेप डीलरों से फ्लैटों का अंतिम हिस्सा खरीदा था जिसे अस्वीकार नहीं किया गया था, इससे यह भी पता चलता है कि फ्लैटों के सिरे मद 25(8) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, चूंकि अधिसूचना में "अपशिष्ट और स्क्रेप" या "फ्लैट" शामिल नहीं है, इसलिए निर्धारिती अधिसूचना संख्या 208/83 के तहत छूट का हकदार नहीं होगा तथा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यह निर्धारिती को दर्शित करना है कि उनके द्वारा उपयोग किए गए निवेश किस उपमद के अन्तर्गत आते हैं, चूंकि वे टी.ओई 25 के उपमद (8) के अन्तर्गत नहीं आते थे और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फ्लैटों के सिरे स्क्रेप डीलरों से खरीदे गए थे, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निवेश उपमद (8) के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

15. निर्धारिती की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि जहां तक अक्टूबर, 1987 से मार्च, 1988 तक की अवधि का संबंध है, उक्त विवाद्यक निर्धारिती के स्वयं के मामले भूपेंद्र स्टील्स (पी) लिमिटेड में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा निर्धारिती के खिलाफ विनिश्चित किया जा चुका है। (सुप्रा)।

16. जहां तक पश्चात् की अवधि का प्रश्न है, वे अधिसूचना संख्या 90/88 दिनांकित 01.03.1988 और 202/88-सीई दिनांकित 20.5.1988 द्वारा शासित होते हैं जिनमें यह प्रावधानित किया गया है कि:

"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 208/83 में भारत सरकार की अधिसूचना

अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 01 अगस्त 1983 तथा केन्द्र सरकार में इसके साथ संलग्न तालिका में कॉलम (3) में निर्दिष्ट विवरण में सामान को छूट प्रदान की गई है। (एसेसे सामान को इसमें वाद "अन्तिम उत्पाद के रूप में दर्शित किया जाता है) जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (5 से 1986) के अध्याय 72, 73 व 84 में वर्णित सम्पूर्ण अनुसूची में निर्दिष्ट हो।"

बशर्ते कि ऐसे अंतिम उत्पाद उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट विवरण के किसी भी सामान से बने हों (एसेसे सामान को इसके बाद "निवेश" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और उक्त के अध्याय 72 या 73 के अंतर्गत आते हैं। वह अनुसूची जिस पर उक्त अनुसूची के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क, जैसा भी मामला हो, का भुगतान पहले ही किया जा चुका है:

बशर्ते कि निवेश पर भुगतान किए गए शुल्क का कोई लाभ उक्त नियमों के नियम 56ए या नियम 57ए के तहत नहीं लिया गया है।

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, देश में निवेश के सभी स्टॉक, ऐसे स्टॉक को छोड़कर जो स्पष्ट रूप से गैर-शुल्क भुगतान के रूप में पहचाने जाने योग्य हैं, को निवेश माना जाएगा जिस पर शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

क्रम	निवेश का विवरण	अंतिम उत्पाद का विवरण
(1)	(2)	(3)
01.	XXX	XXX

	सिल्लिया या अन्य प्राथमिक रूप (i) गैर मिश्र धातु इस्पात (ii) मिश्र धातु इस्पात	XXX (i) XXX (ii) XXX (iii) अन्य मिश्र धातु
	अन्य मिश्र धातु : अर्द्ध तैयार उत्पाद (i) गैर मिश्र धातु इस्पात (ii) मिश्र धातु इस्पात (iii) अन्य गैर मिश्र धातु इस्पात जो लोहे या स्टील को रोल करके मोटे आकार के टुकड़े	अर्द्ध तैयार उत्पाद (i) गैर मिश्र धातु इस्पात (ii) मिश्र धातु इस्पात (iii) अन्य गैर मिश्र धातु इस्पात जो लोहे या सलाखे और छड़े
03.	XXX	XXX
04.	XXX	XXX

17. उपरोक्त दो अधिसूचनाओं को पढ़ने से पता चलता है कि निर्धारिती को दोनों अधिसूचनाओं के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा (i) कि उत्पाद कॉलम 2 और (ii) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट विवरण के किसी भी सामान से बने हैं।) उन्हें शुल्क अधिनियम के अध्याय 72 के अंतर्गत आना चाहिए।

18. इस न्यायालय के समक्ष निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के समय यह दलील प्रस्तुत की गई है कि निवेश अर्थात् सपाट छड़ें आदि शीर्ष 72.08 के अंतर्गत आएगा, निर्धारिती के विरुद्ध संदर्भित मामले में स्वयं निर्धारिती के विरुद्ध जो कुछ भी विनिश्चित किया गया हो उसके बाद भी। जैसा कि स्वयं अधिसूचनाओं में प्रावधानित किया गया था, निवेश को मोटे तौर पर रोलिंग या लोहे या स्टील के आकार के टुकड़े के रूप में होना चाहिए। स्पष्ट रूप से साबित है कि वे फ्लेट रोल्ड "उत्पाद" लोहे के नहीं हो सकते एवं जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है

कि सलाखों के टुकड़े, छड़, फ्लैट आदि के टुकड़े, जो मुख्य वस्तु से काटे जाते हैं, वे टुकड़ों के रूप में योग्य नहीं हो सकते हैं जिन्हें मोटे तौर पर रोलिंग या फोर्जिंग द्वारा आकार दिया गया हो।

19. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने शुल्क की धारा 15 के नोट 6 में दी गई "अपशिष्ट और स्क्रेप" की परिभाषा पर बल दिया। 1988 से पहले परिभाषा इस प्रकार थी:

"लोहे या स्टील का अपशिष्ट और स्क्रेप केवल धातु की पुनर्प्राप्ति या रसायनों के निर्माण में उपयोग के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें लावा, राख और अन्य अवशेष शामिल नहीं हैं।"

20. 1988 के बाद की परिभाषा इस प्रकार पढ़ी जाएगी:

"धातुओं के निर्माण या यांत्रिक काम-काज से धातु, अपशिष्ट और स्क्रेप, और धातु के सामान निश्चित रूप से टूटने, कटने, घिसने या अन्य कारणों से उपयोग करने योग्य नहीं हैं।"

21. राजस्व का मामला यह है कि निर्धारिती ने ट्रिमिंग और फोर्जिंग, पुरानी विघटित मशीनें, पुराने टूटे हुए इंजीनियरिंग सामान, छिद्रित स्टील धातु के पात्र और अन्य टूटी हुई सामग्री खरीदी थी। जिन्हें निश्चित रूप से "मोटे तौर पर आकार के टुकड़े" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

22. जहां तक नोट 6 में वर्तमान परिभाषा की शुरुआत के बाद की अवधि का प्रश्न है, निवेश पूरी तरह से अपशिष्ट और स्क्रेप की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और अपशिष्ट और स्क्रेप का अधिसूचना संख्या 202/88 और 90/88 में कोई उल्लेख नहीं है।

23. उपर्युक्त वर्णित कारणों से याचिका सारहीन होने से हर्ज सहित खारिज की जाती है।

एस.के.एस.

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रंजना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।